



प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2015 को एम०जे०सी० संख्या-716/2014 के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० संख्या-716/2014 में दिनांक 15.09.2015 को पारित आदेश के आलोक में आज दिनांक 17.12.2015 को नगर आयुक्त, आरा नगर निगम के साथ बैठक की गयी।
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :-
  - (i) आरा नगर निगम, स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाता संधारित कर, वर्ष 2009-10 के भूमि का प्रभावी न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य के आधार पर, राशि की गणना कर, बैंक खाता में नगर निधि से राशि जमा कर दी जाय।
  - (ii) वैसे सड़क/गली, जो रैयती जमीन पर निर्मित है, जिसका उपयोग विगत 10 वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा हो, वैसी सड़क को चिन्हित कर, नगर निकाय का रास्ता घोषित करने हेतु एक नीति सरकार के अनुमोदन से तैयार की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




(उमेश कुमार),  
नगर आयुक्त,  
आरा नगर निगम, आरा



(अमृत लाल मीणा),  
प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-6172.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 17/12/15

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, आरा नगर निगम, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव